क्रम संख्या

शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी (क्वीली)

टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

(कला संकाय हेतु)

E-Mail : gdcpokhritehri@yahoo.com

Website : www.gdcpokharitehri.in

प्रवेश निर्देशिका

2021- 2022

शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय, पोखरी (क्वीली) टिहरी गढ़वाल

Vision

To provide holistic and quality education for global competence and local need on the basis of equality and inclusiveness.

Mission

* To provide opportunity of holistic and quality education to all eligible students on the basis of equity and particularly to deprived section.
* To prepare optimal learning environment and support for students with best utilization of resources.
* To strengthen physical and academic infrastructure and human resources of the ollege by incorporating modern means of teaching and learning aids like ICT and other digital gears with latest pedagogy.
* To initiate programmes for strengthening research and innovations and encourage faculty and students to engage in stretching the frontier of knowledge.
* To prepare the students to lead quality life, strong ability to work and to touch the life of nearby community, consistent with their ability to contribute for sustainable development.

To develop self-confident and creative individuals with intellectual curiosity,spirit of service, skill of life-long learning and to learn the treasure within.

शैक्षणिक कैलेण्डर

प्रवेश आवेदन प्रक्रिया, शिक्षण सत्र आरम्भ होने एवं सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियाँ उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, नई टिहरी के द्वारा समय –समय पर निर्गत आदेशों के माध्यम से निर्धारित होंगी। उपरोक्त निर्देशों की सूचना महाविद्यालय द्वारा प्रसारित की जाएगी।

प्राचार्य का संदेश

शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी (क्वीली) टिहरी गढ़वाल में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु हार्दिक बधाई। जहाँ माध्यमिक शिक्षा छात्रों को अध्ययन व कार्य करने की आदतों को विकसित व मजबूत करने में सहयोग करती है, उच्च शिक्षा उससे भी आगे छात्रों की बौद्धिक क्षमता व प्रतिभा को विकसित करते हुए समाज में उपस्थित अवसरों को ग्रहण करने हेतु मार्गदर्शित करती है।

उच्च शिक्षा के इस प्रांगण में सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक विधियों के साथ-ही-साथ पाठ्यक्रम अध्यापन हेतु नवीनतम ऑनलाइन व आई0सी0टी0 युक्त विधियों का समावेश किया गया है। छात्रों की बहुमुँखी प्रतिभा विकास हेतु पाठ्य सहगामी व पाठ्येत्तर कार्यकलापों को समय-समय पर आयोजित किया जाता है। साथ-ही-साथ महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। छात्रों को समाज से जोड़ने व सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त छात्रों को मेंटरशिप योजना, कैरियर व काउंसिलिंग सेल व विभागीय परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भी पाठ्येत्तर ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है।

आशा है कि इस महाविद्यालय में अध्ययन की अवधि में आप सभी छात्र-छात्राएँ समय का सदुपयोग करते हुए अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास करने में समर्थ होंगे व जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में समाज में प्रवेश करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

प्रोफेसर (डॉ0) सुमिता श्रीवास्तव
प्राचार्या

महाविद्यालय संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों में यह महाविद्यालय वर्ष 2014-15 में टिहरी गढ़वाल जिले के तहसील गजा विकासखण्ड नरेन्द्रनगर पट्टी क्वीली में स्थापित किया गया। जिला मुख्यालय टिहरी से इस महाविद्यालय की दूरी 63 किमी तथा रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से 76 किमी गजा-चाका रोड़ पर स्थित है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 1200 मीटर है। यह महाविद्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध है। पोखरी क्षेत्र के उत्तर में 40 किमी की दूरी पर टिहरी बांध तथा पूरब से 6 किमी की दूरी पर कोटेश्वर बांध स्थित है। महाविद्यालय से संगम तीर्थ स्थल देवप्रयाग पूरब-दक्षिण में 40 किमी की दूरी पर है। उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून से यह स्थल 112 किमी की दूरी पर है। यह महाविद्यालय गजा-चाका-रणकोट क्षेत्र के इण्टरमीडिएट विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु कला संकाय से स्नातक करने का एक सुगम केन्द्र है। गढवाल के 52 गढ़ों में से क्वीली गढ़ भागीरथी के दायीं ओर कोट ग्राम के समीप घण्टाकर्ण मंदिर के रूप में आज भी अवस्थित है। लघु हिमालय की फिलिटिक शैल से निर्मित इस क्षेत्र की पहाड़ियों का ढाल उत्तर पूरब को 10 डिग्री से 25 डिग्री तक है।

महाविद्यालय स्थापना के साथ प्रथम सत्र में ही स्नातक स्तर तक कला संकाय के कुल 06 विषयों में एक साथ पठन-पाठन प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान महाविद्यालय रा0इ0कॉ0 पोखरी (क्वीली) क भवन संख्या-3 में संचालित कियाजा रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय में 03 नियमित तथा 03 आमंत्रित शिक्षक कार्यरत हैं। अपनी स्थापना के वर्ष से ही महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उन्मुख है, निरन्तर बढ़ती छात्र संख्या इस बात की सप्रमाण पुष्टि करती है।

इस महाविद्यालय का नाम शहीद बेलमती चौहान के नाम पर रखा गया है। श्रीमती बेलमती चौहान उत्तराखण्ड राज्यस्थापना हेतु चल रहे आन्दोलन के दौरान मंसूरी में 2 सितम्बर, 1994 को शहीद हुई थीं। शहीद श्रीमती बेलमती चौहान काजन्म ग्राम रणाकोट पट्टी-पालकोट, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता का नाम स्व0 श्री नैन सिंह रावत था, जोकि अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। बचपन में ही इनकी माता का देहान्त हो गया।जिसके बाद इनके दोनों मामाओं स्व0 श्री शीतवान सिंह रावत व श्री केवल सिंह रावत ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह स्व0 श्री धर्म सिंह चौहान,ग्रा0 खलूण, पट्टी-धाराकिया, तहसील-गजा, टिहरी गढ़वाल से हुआ। इनके चार पुत्रियों श्रीमती लक्ष्मी नेगी, श्रीमती सुनीता सोलंकी, श्रीमती सरिता रावत, श्रीमती अंजना असवाल तथा एक पुत्र-रंजीत चौहान हैं। इनके पुत्र वर्तमान में 127 अपर राजीव नगर डांडा धरमपुर, देहरादून में निवास करते हैं।

महाविद्यालय के समस्त नवागन्तुक एवं पूर्व से ही अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से हमारी अपेक्षा है कि हम सब मिल कर इस महाविद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे। सभी के मध्य निरन्तर उदेश्यपरक संवाद बना रहे और मनसा, वाचा, कर्मणा से महाविद्यालय की प्रगति हेतु प्रयासरत रहें।

आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं सहित,

शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी (क्वीली) टिहरी गढ़वाल

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश (कला संकाय हेतु)

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया :-

1. प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त करें।
2. सही एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा (स्नातक प्रथम वर्ष हेतु) निश्चित तिथि तक महाविद्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा कार्यालय में देकर रसीद प्राप्त कर ली जाये। अपूर्ण और अस्पष्ट रूप से भरे गये आवेदन पत्र अस्वीकार होगें।
3. नये प्रवेशार्थी के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा एव समस्त संलग्नक प्रवेशार्थी द्वारा स्व-प्रमाणित होने चाहिए :-

(क) उत्तीर्ण की गयी समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रतियां।

(ख) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ग) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) की प्रतिलिपि (प्रवेश के समय मूलप्रति) जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधान परिषद् के सदस्य द्वारा प्रदत्त आचरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करेंगे (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करनी आवश्यक है।)।

(ड) पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे तथा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(च) खेलकूद प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय सेवा योजना (कैम्प 240 घण्टे) प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी अथवा अवकाश प्राप्त या कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के अवकाश प्राप्त या कार्यरत सैनिक/इण्डोपाक युद्ध में शहीद, सैनिक के आश्रित विषयक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व दिव्यांग प्रमाण-पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(छ) अन्य विश्वविद्यालय (श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर) से किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस महाविद्यालय में किसी कक्षा मेप्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवजन प्रमाण-पत्र प्रमाणित पति संलग्न करेंगे। प्रवजन-प्रमाण की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करानी होगी।

4. जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का संस्थागत विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना व निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करना होगा।
5. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय का सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय वेबसाइट देखते रहें।
6. प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के निमित गठित समितियां निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार करेंगी। प्रवेश समितियों के द्वारा संस्तुत प्रवेशार्थियों के नामों की सूची प्राचार्य द्वारा स्वीकृत की जायेगी। संस्तुत प्रवेशार्थियों को निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा अन्यथा योग्यता क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वयं उपस्थित न होने पर प्रवेशार्थी के प्रवेश पर विचार करना सम्भव न होगा।
7. अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त केवल उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा, जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश की पूर्व निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8. प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के समय एन्टी रैगिंग के सन्दर्भ में ऑनलाइन www.amanmovement.org पर लोगिन कर भरे तथा इसका प्रिंट आउट स्वयं के एवं अभिभावक के हस्ताक्षर कराकर अलग-अलग जमा करें अथवा प्रवेश निर्देशिका में संलग्न प्रारूप का प्रयोग करें।
9. छात्र एक सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, किसी भी सेवारत अभ्यर्थी को संस्थागत प्रवेश देय नहीं होगा।

अध्ययन हेतु विषय (स्नातक स्तर)

कला संकाय

1. प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित में से कोई तीन विषय ले सकता है -
   हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र।
2. विषय संयोजन में कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में से कोई दो विषय ही चुन सकता है।
3. केवल वे छात्र/छात्रा भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा भूगोल विषय के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग से उत्तीर्ण की हो।

पवेश-नियम

महाविद्यालय में बी0ए0 में निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे :

1. केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। ड्रापर छात्र/छात्रा को संस्थागत के रूप में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रयोगात्मक विषय के साथ अनुत्तीर्ण छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में शामिल हो सकते हैं। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ग के छात्र को अनुत्तीर्ण होने पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है।
2. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. प्राचार्य को बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
4. अनूसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या (1144) कार्मिक-2-2001-53(1) 2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी, जो इस प्रकार है- अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपुर्यक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से हॉरिजेन्टल आरक्षण देय होगा :- महिलाएं 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 4 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत।
   उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 8 दिसम्बर 1995 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत जिन जातियों की सूची की अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, उन जातियों में से उत्तराखण्ड में निवास कर रही अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर (सम्बन्धित श्रेणी में) 4 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य होगा।
5. आरक्षित श्रेणी की सीटों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी से प्रवेश देय किये जायेगें।
6. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा रहेगी।
7. कार्यालय में शुल्क तथा सम्बन्धित पत्रजात जमा होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।
8. अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल (गैप) पर ही प्रवेश हेतु विचार किया जा सकता है। अन्तराल के वर्षो हेतु अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित अवधि का शपथ-पत्र एवं किन्हीं दो राज-पत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न करने आवश्यक होंगे।
9. कानून द्वारा दण्डित छात्र/छात्राओं को प्रवेश देय नहीं होगा।
10. यदि प्रवेशार्थी पूर्व सत्र/सत्रों में महाविद्यालय में रहे हों, तो प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व उन्हें पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें वापस करनी आवश्यक होंगी।

11. विवि0 द्वारा विषयवार निर्धारित सीटों पर वरीयता क्रमानुसार प्रवेश देय किया जाएगा।
    1. हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान प्रत्येक में 120 सीटें।
    2. भूगोल में निर्धारित 40 सीटों पर प्रवेश देय होगा।
12. विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
13. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र मूल रूप में जमा करना आवश्यक होगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा को एक माह के अंदर प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक ही महाविद्यालय में प्रवेश देय होंगे।
15. महाविद्यालय द्वारा लागू डसकोड इस प्रकार रहेगा -

    छात्र - ब्राउन पैंट, क्रीम कलर की कमीज

    छात्रा - ब्राउन कमीज, क्रीम कलर की सलवार, क्रीम कलर का दुपट्टा
16. **भूतपूर्व छात्र (Ex-Student)**

    ऐसे छात्रों को भूतपूर्व छात्र माना जायेगा, जो संस्थागत छात्र के रूप में सैद्धान्तिक परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न पत्र में अवश्य शामिल हुए हों अथवा संस्थागत छात्र के रूप में अनुत्तीर्ण हों अथवा छात्र ने पूरे सत्र अध्ययन किया हो तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
17. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है अथवा उसके द्वारा संलग्न प्रमाण/पत्रजात जाली पाये जाते हैं, तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरूद्ध कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
18. प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति या कक्षाएं प्रारम्भ होने के एक सप्ताह बाद विषय परिवर्तन नहीं होगा।
19. प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी को वार्षिक शुल्क तथा परीक्षा शुल्क रसीद की छाया प्रति के साथ प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
20. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, सावधि अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।
21. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अथवा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी बी0ए0 की कक्षाओं में प्रवेश चाहता है तो उसे अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
    (i) बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
    (ii) 39.99 अथवा 44.99 को क्रमशः 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
    (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा। तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

01. सूचकांक ज्ञात करने हेतु अभ्यर्थियों को नियमानुसार निम्न अतिरिक्त अंक देय होगें।

a- राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर 07 अंक

b- राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने पर 05 अंक

c- स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी 02 अंक

स्काउट में जी-1 धारक को - 01 अंक

जी-2 धारक को - 02 अंक

d- ध्रुव पद/ध्रुव धारक- 02 अंक

e- एन0सी0सी0, बी0/सी0 प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी - 02/03 अंक

f- एन0एस0एस0 बी0-प्रमाण पत्र -02 अंक, सी0 प्रमाण पत्र-03 अंक तथा गणतंत्रता दिवस परेड प्रतिभागी को 05 अंक (प्रतिबन्ध यह होगा की बिन्दु a से f के लिए अधिकतम 07 अंक देय होगें।)

2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

टिप्पणी :- समान सूचकांक होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमन्य होगा।

1. इस महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
2. शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0 आदि में उपलब्धियों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में योग्यता क्रम दिया जाएगा। अधिकतम देय वरीयता अंक 15 ही होगें।

नोट - सत्र 2018-19 से श्रीदेव सुमन विवि द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गयी थी। सत्र 2019-20 से प्रथम वर्ष में पुनः वार्षिक प्रणाली लागू कर दी गयी है।

* महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश लने वाले प्रवेशार्थी एक वर्ष में दो सेमेस्टर के अन्तर्गत अध्ययन कर दो बार परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत सत्रांत में एक बार वार्षिक परीक्षा देनी होगी।
* सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर के प्रत्येक विषय की एक आंतरिक परीक्षा में 20 अंक तथा लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। प्रत्येक विषय के प्रत्येक सेमेस्टर में दो प्रश्न पत्र होंगे। इनमें सैद्धान्तिक एवं आतंरिक परीक्षा में 40/अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
* पर्यावरण विषय का अध्ययन भी अनिवार्य होगा। ध्यान रहे कि पर्यावरण परीक्षा के अंक भी अंकतालिका में जुडेंगे।

शुल्क विवरण

प्रवेशार्थियों को पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। शासनादेश 1734/15E/80(11)-12/80 दिनांक 6.5.81 के अन्तर्गत शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

वार्षिक	**स्नातक**
1. मंहगाई शुल्क	240.00
2. प्रयोगशाला शुल्क	240.00
3. विकास शुल्क	20.00
4. प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00
5. पुस्तकालय शुल्क	3.00
वार्षिक	**वि0वि0 द्वारा निर्धारित शुल्क**
1. क्रीड़ा शुल्क	240.00
2. वाचनालय शुल्क	30.00
3. विभागीय परिषद् शुल्क	50.00
4. पत्रिका शुल्क	50.00
5. महाविद्यालय दिवस/सांस्कृतिक परिषद् (20+50)	70.00
6. छात्र सहायता कोष	10.00
7. परिचय पत्र	25.00
8. छात्र संघ	50.00
9. विद्युत शुल्क	60.00
10. प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण (स्वच्छता) (20+50)	70.00
11. कांउसलिंग सेल शुल्क	30.00
12. कम्प्यूटर इंटरनेट अनुरक्षण	70.00
13. प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00
14. विविध	100.00
15. अभिभावक शिक्षक संघ (PTA)	30.00
16. स्वच्छता/सौन्दर्यीकरण	30.00

नोट :- उपरोक्त शल्क दरें विश्वविद्यालय/शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय होंगी।

शुल्क का विवरण तथा जमा करने की तिथियाँ समय-समय पर महाविद्यालय सूचना पट पर अंकित की जायेंगी। शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश मान्य होंगे।

नोट :-

1. कोई भी विद्यार्थी नियत अवधि के अन्दर शुल्क जमा नहीं करता है, अथवा 15 दिन से अधिक अवधि से लगातारअनुपस्थित रहता है और अपनी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण नहीं बता सकता है, तो उसका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जाएगा।
2. चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा प्रार्थना पत्र (अदेय प्रमाण सहित) प्राप्ति की रसीद से कम से कम चार दिनों के बाद ही निर्गत किया जा सकेगा।
3. प्रतिभूति धनराशि वर्ष में केवल दो बार ही लौटायी जा सकेगी। आवेदन पत्र माह नवम्बर तथा अप्रैल में जमा होंगे तथा भुगतान अगले माह किया जाएगा। छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम :-

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है, जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है। प्रवेश पत्र खोनेपर डुप्लिकेट प्रवेश पत्र हेतु छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र शुल्क पुनः जमा करना अनिवार्य होगा।
2. जिन छात्रों की गतिविधियाँ नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता है/निकाला जा सकता है। उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. किसी भी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करना अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देना अनुशासन भंग करने की कार्यवाही मानी जायेगी। ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः निष्कासित हो जाएंगे।
4. महाविद्यालय की सम्पत्तियों को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न करना, अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में व्यवधान पैदा करना, दीवारों पर पोस्टर चस्पा करना या लिखना, झगड़ा एवं मारपीट करना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना दण्डनीय अपराध माने जायेंगे।
5. दुराचार एवं अनवरत प्रमाद के दोषी विद्यार्थियों को भी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
6. रैगिग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है) महाविद्यालय परिसर में वर्जित है।
7. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। मोबाइल फोन का प्रयोग (फोटो खींचने/गाने सुनने) करता हुआ पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. महाविद्यालय परिसर में कोई भी छात्र धुम्रपान तथा मद्यपान करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कठोरअनुशासनात्मक /पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
9. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने पर निर्धारित ड्रेस में कक्षाओं/महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। ड्रेस कोड का पालन न करने वाले छात्र/छात्राओं को कक्षा से निष्कासित किया जा सकता है।

छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान : महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को जो प्रमुख छात्रवृत्तियां एवं अनुदान प्राप्त हो सकते हैं, उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निम्नांकित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर और निर्धारित विवरणानुसार महाविद्यालय में समय-समय पर प्रचालित सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदानों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

1. असेवित क्षेत्र छात्रवृतियाँ।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्प आय वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
3. स्वतंत्रता संग्राम सैनानी छात्रवृत्तियाँ।
4. बर्सरी छात्रवृत्ति।

5. प्रतिरक्षा सेवा छात्रवृत्ति।
6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
7. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति।
8. ग्रामीण क्षेत्र छात्रवृत्ति।
9. स्वामी राम छात्रवृत्ति।
10. विकलांग छात्रवृत्ति।
11. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्र कल्याण निधि से वित्तीय राहत।

विशेष :

1. समय-समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों व अन्य नियमों मे परिवर्तन होते रहते हैं। अत: छात्रों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।
2. सभी प्रार्थना पत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसारित किये जाते हैं।
3. छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत प्रतिमाह होना आवश्यक है।
4. नियमानुसार छात्र/छात्राओं को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है।

कैरियर काउंसिलिंग

छात्रों को रोजगारपरक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में कैरियर काउसिलिंग सेल की स्थापना की गयी है। इस सेवा के अन्तर्गत छात्रों को विषय चयन हेतु मार्गदर्शन एवं चयनित विषयों की रोजगार सम्भावनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। छात्रों से अपेक्षा है वह इस सेवा का समुचित लाभ प्राप्त करें।

पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को 11:00 बजे पूर्वाहन से 03:00 बजे अपराह्न तक पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को स्वयं अपना पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी। पत्रक सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी। पुस्तकें फटने, गन्दी हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी को पुस्तक का मूल्य जमा करना होगा। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होंगी।

महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ

माननीय सर्वोचय न्यायालय के निदेशानुसार महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने एवं महिला उत्पीड़न निवारण हेतु एक स्थायी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ

यूजीसी ड्राफ्ट, रेगुलेशन-2009 एवं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार पत्रांक सं0 370/04/दिनांक 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च, 2009 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को पूर्ण प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

राष्ट्रोय सेवा योजना (एन0एस0एस0)

सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय को एन0एस0एस0 की आधी यूनिट (50सीट) स्वीकृत की गयी है। एन0एस0एस0 के द्वारा महाविद्यालय व महाविद्यालय के बाहर स्वच्छता, पर्यावरण व अनेक सामाजिक कार्य किये जाते हैं। एन0एस0एस0 में ए0, बी0 व सी0 प्रमाण पत्र अर्जित करने पर छात्र-छात्राओं को कई लाभ दिये जाते हैं।एन0एस0 एस0 में प्रतिभाग करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं एन0एस0एस0 कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 राम भरोसे से संपक कर सकते हैं।

अन्य

महाविद्यालय के विकासोन्मुखी कार्यो एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छात्र परिषद्, सांस्कृतिक परिषद्, क्रीड़ा परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

छात्र-छात्राओं के लिए विशेष निर्देश एवं नियम :

1. समय-समय पर दी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सूचना के लिए छात्र/छात्राओं को सूचना पट पढ़ते रहना होगा व महाविद्यालय की बेवसाइट का अवलोकन करते रहना होगा।
2. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।
3. छात्र/छात्राओं को अपने विभिन्न कार्यो के लिए सम्बन्धित प्रभारी अध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य नियन्ता (चीफ प्रॉक्टर) कार्यालय से सम्पर्क कर अपना परिचय पत्र (आईडेन्टिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए।
5. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाय, उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. शुल्क जमा कराने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान-पजिकामें अपना नाम अंकित करवानासम्बन्धित छात्र/छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

Format of Affidavit to be Filled by the Student

1. I _____ S/o, D/o,/Mr./Mrs/Ms _____ class _____ have carefully read and fully understood the prohibiting ragging and directions of supreme court and the center/state Government in this regard.

2. I have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009.

3. I hereby undertake that

* I will not indulge in any behavior or act that may come under the definition of ragging,
* I will not participate in or abet or propagate ragging in any form,
* I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm,

4- I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of UGC regulations mentioned above and/or as the law in force.

Date : Signature

Place : Name & Address

Format of Affidavit to be Filled by parent/Guardian

1. I _____ F/o, M/o,/G/o._____ class _____ have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the dirctions of supreme court and the center/state Government in this regard as well as the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009.

2. I assure you that my son/daughter/ward will not indulge in any act of ragging.

3. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, he/she may be punished as per the provisions of the UGC Regulations above and/or as per the law in force.

Date : Signature

Place : Name & Address

उपस्थिति हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

समक्ष -

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पोखरी (क्वीली) टिहरी गढ़वाल

मैं .....कक्षा .....पुत्र/पुत्री श्री ..... यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपनी कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थित रहूँगा।ऐसा न होने पर अगर मुझे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

ह0 शपथकर्ता

अभिभावक द्वारा शपथ-पत्र

मैं .....यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मेरे पाल्य (पुत्र/पुत्री) .....की कक्षा ..... में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। ऐसा न होने पर अगर उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

ह0 अभिभावक

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य – प्रोफेसर (डॉ0) सुमिता श्रीवास्तव

कला संकाय

1. भूगाल – प्रोफेसर (डॉ0)अरूण कुमार सिंह
2. हिन्दी – डॉ0 राम भरोसे
3. अर्थशास्त्र – श्रीमती सरिता देवी
4. संस्कृत – डॉ0 विवेकानन्द भट्ट (आमंत्रित)
5. राजनीतिशास्त्र – डॉ0 मुकेश प्रसाद (आमंत्रित)
6. अंग्रेजी – डॉ0 बंदना सेमवाल (आमंत्रित)

शिक्षेणत्तर कर्मचारी –

1. सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष – रिक्त
2. प्रवर सहायक – रिक्त
3. वरिष्ठ सहायक – श्रीमती रचना राणा
4. कनिष्ठ सहायक – श्रीमती रेखा नेगी
5. भूगोल प्रयोगशाला सहायक – श्री अंकित कुमार
6. कनिष्ठ सहायक (पुस्तकालय) – रिक्त

आउटसोर्स (उपनल)

1. श्री नरेन्द्र दत्त (बुक लिफ्टर)
2. श्रीमती सुनिता (प्रयोगशाला अनुसेवक)
3. श्री नरेश सिंह रावत (कार्यालय अनुसेवक)
4. श्री दीवान सिंह (कार्यालय अनुसेवक)
5. श्री राजेन्द्र प्रसाद (स्वच्छक/चौकीदार)
6. श्री मूर्ति लाल (स्वच्छक/चौकीदार)

राजकीय महाविद्यालय
पोखरी (क्वीली) टि0ग0

कोटेश्वर बाँध
चाका (टि0ग0)